राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांकः एफ.1(1)शिक्षा/ग्रुप–3/2019

जयपुर, दिनांकः–31.01.2019

–: आदेश :–

राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) के निम्नांकित अधिकारियों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर, उनके नाम के सम्मुख कॉलम सं.–6 में अंकित दिनांक को अपरान्ह से सरकारी सेवा से सेवानिवृत किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम (श्री/श्रीमती/ सुश्री/डॉ.)	पदनाम	कॉलेज/ कार्यरत स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृति तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	गोविन्द प्रसाद नागर	उपाचार्य	राजकीय महाविद्यालय, चित्तौडगढ	04.04.1959	30.04.2019
2.	गोरधन लाल	उपाचार्य	राज. कन्या महाविद्यालय, चित्तौडगढ	06.05.1959	31.05.2019
3.	शिम्भू दयाल मीना	उपाचार्य	राज. स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय, कोटपूतली	01.07.1959	30.06.2019
4.	दिलीप कुमार नौलखा	उपाचार्य	राज. बांगड महा. पाली	05.06.1959	30.06.2019
5.	मानसिंह मीणा	उपाचार्य	मा.आ.जी.राज.महा. डीग, भरतपुर	20.07.1959	31.07.2019
6.	भोलाराम मीना	उपाचार्य	राज. महाविद्यालय, टोंक	25.07.1959	31.07.2019
7.	सागर मल	उपाचार्य	राज. कला महा. दौसा	11.07.1959	31.07.2019
8.	ब्रहमानन्द पारीक	उपाचार्य	राज. महा. हनुमानगढ	13.08.1959	31.08.2019
9.	चरण सिंह	उपाचार्य	राज. महा. गोविन्दगढ	08.09.1959	30.09.2019
10.	लता शर्मा	उपाचार्य	आर.डी. राज. कन्या महाविद्यालय, भरतपुर	05.11.1959	30.11.2019
11.	रामलाल सांई	उपाचार्य	राज. कला महा. सीकर	13.12.1959	31.12.2019

कार्मिक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त तालिका में क्रम संख्या–9 पर अंकित श्री चरण सिंह, उपाचार्य के विरूद्ध वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अन्तर्गत विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर तालिका में क्रम संख्या–9 पर अंकित अधिकारी को छोडकर शेष नामित अधिकारियों के विरूद्ध आज दिनांक तकः–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

Scanned by CamScanner

यह स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी प्रकार के ऋण शेष नहीं होने एवं अधिकारी के राजकीय आवास में अधिवासित होने की स्थिति में, उनकी सेवानिवृति की तिथि से दो माह की अवधि में राजकीय आवास रिक्त कराने की शर्त पर जारी की जाती है।

उक्त अधिकारियों के पेंशन परिलाभों के नियमानुसार भुगतान में विलम्ब की स्थिति के लिए विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रामस्वरूप चौहान)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सम्वन्धित महाविद्यालय/अधिकारी द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा,राज., जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ1( )प्रशा./आकाशि/2019/2441 दिंनाकः– 31.01.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संबंधित प्राचार्य/ संबंधित अधिकारी।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (प्रशासन/कार्मिक/अनुदान/अकादमिक/योजना एवं समन्वय) आयुक्तालय।
6. स्थापना शाखा कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
6. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर को अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

Scanned by CamScanner